भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-16

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

एनईईटी-यूजी का प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दर्ज मामले

†*16. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक होने के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के आरोप के संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा 'एनईईटी-यूजी का प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दर्ज मामले' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ)

- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक विशिष्ट निकाय के रूप में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से एनटीए ने 5.4 करोड़ से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए 240 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए दिनांक 22.6.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जो परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली संबंधी संस्तुतियां करेगी। समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ शामिल हैं:

1	डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो और अध्यक्ष शासी निकाय, आईआईटी कानपुर।	अध्यक्ष
2	डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली।	सदस्य
3	प्रो. बी. जे. राव, कुलपति, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।	सदस्य
4	प्रो. राममूर्ति के, प्रो. एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास।	सदस्य
5	श्री पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत।	सदस्य
6	प्रो. आदित्य मित्तल, डीन छात्र मामले, आईआईटी दिल्ली	सदस्य
7	श्री गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य सचिव

- समिति ने दो और सदस्यों नामतः प्रो. अमेय करकरे, प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर और डॉ. देबप्रिया रॉय, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर को भी सहयोजित किया है। समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

- एनईईटी (यूजी) 2024 परीक्षा में केवल एक मामले में, प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए दिनांक 5 मई, 2024 को पटना के शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) दर्ज की गई थी। इस मामले में व्यापक जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.6.24 को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करके इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। तदनुसार, इस मामले में सीबीआई द्वारा दिनांक 23.6.24 को एक एफ़आईआर दर्ज की गई है।

- इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 लागू किया है। यह अधिनियम दिनांक 21 जून, 2024 से लागू हुआ है और इसके तहत दिनांक 23 जून, 2024 को नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

<u>माननीय संसद सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा 'एनईईटी-यूजी का प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दर्ज मामले' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

<u>विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय</u>

(i) परीक्षा प्रक्रिया तंत्र में सुधार

(क) संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना तथा प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने तथा किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय सुझाना।

(ख) एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करना, तथा प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना।

(ii) डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार

(क) एनटीए की मौजूदा डाटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना और इसके सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(ख) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना तथा प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सिफारिशें करना।

(iii) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली

(क) बिंदु 3(i) और 3(ii) के तहत दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली संबंधी सिफारिशें करना और प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

(ख) एनटीए की वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली का आकलन करना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना तथा इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।